

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, विराटनगर (राज.)

सेडूशम को बनाम अन्जु देवी को र
 र्श : _____ /20 _____

भाड़ा वाही		विशेष विवरण
	<p>41/2022 आज्ञा विस्तृत रूप से पट्टा लगी</p> <p>10-1-24 वकील शर्मा उषा तल्ली पेश करने को अवसर चाहा वक्ति तल्ली अपाधी गणु दिनांक 12-9-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड़)</p> <p>12-9-24 वकील शर्मा उषा तल्ली पेश करने को अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 23-10-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	
23/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. साहब वारे में पधाः बनादेशानुसार दिनांक 15-12-24 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">प्रस्तुतकार उपखण्ड अधिकारी विराटनगर</p> <p>19-1-24 वकील शर्मा उषा वक्ति पेश होने तल्ली अपाधी गणु दिनांक 16-1-25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड़)</p> <p>16-01-2025:- पत्रावली पेश। वकील शर्मा गणु उपस्थित नहीं हुए। वकील शर्मा गणु सहकाराम को बार-बार आवाज लगाया भी गयी, इनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उां पत्र अहम हाजरी अहम पेश में खारिज किया जाव। है। पत्रावली फिलहाल शुमाट होकर काबिल दफतर ही, नंतर से कम ही।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	